(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री गोविन्द लाल पुत्र बालकृष्ण स्वर्णकार, निवासी करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व लेखा) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :– 03/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12–02–2025	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 22.10.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, (राजस्व लेखा) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक 10062 दिनांक 11.02.2025 से प्रत्युत्तर प्रेषित कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी/प्रार्थी के आवेदन पत्र से वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 12340 दिनांक 28–11–2024 से अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिसकी प्रतिलिपि रेस्पोडेण्ट को उपलब्ध करायी जाकर उसकी प्राप्ति स्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर भी अपीलार्थी के प्राप्त किये जा चुके है। जिसकी प्रतिलिपि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील न्यायालय को भी प्रेषित की है। 4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12–02–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा	